आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
5.03.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेशों की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं बिना नोटिस तामील के उपस्थित हुये हैं। तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 की तलबी हेतु आज दिनांक तक आदेश दिनांक 12.12.023 की पालना रजिस्टर्ड नोटिस ए.डी. पेश नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 12.12.2023 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर सुनते हुये वादग्रस्त भूमि वाके चक 57 जी.बी. के मु.नं. 56 प.नं. 234/453 के कि.नं. 1/1 का 0.228, 1/2 का 0.025, 2, 3, 4 प्रत्येक का 0.0253, 5/3 का 0.241, 6/1 का 0.240, 7, 8, 9 प्रत्येक का 0.243, 10/1 का 0.228 , 10/2 का 0.025, 13/2 का 0.075 इस प्रकार कुल 2.580 हैक्टर कृषि भूमि पर प्रार्थी के हिस्से तक मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया था। प्रार्थी को उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया गया था कि आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलवाना रजि.ए.डी. पेश करें ऐसा नहीं करने पर न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर निरस्त मानी जावेगी। वकील प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक [illegible] ए.डी. नोटिस तलवाना पेश नहीं किये गये हैं। अप्रार्थीगण [illegible] व 4 की तलबी आज दिनांक तक शेष है [illegible] न्यायालय के [illegible] की अपालना है। अतः न्यायालय हाजा [illegible] 12.12.202[illegible] को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थीगण दिनांक 23.03.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.05.22 11:22:33 IST
Reason: SelfAttested